


27.09.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील प्रार्थी उपस्थित नही
आयें। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई
गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी
व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम
की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़